19 II/निग०/सीधी/2017/4764

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म.प्र.)

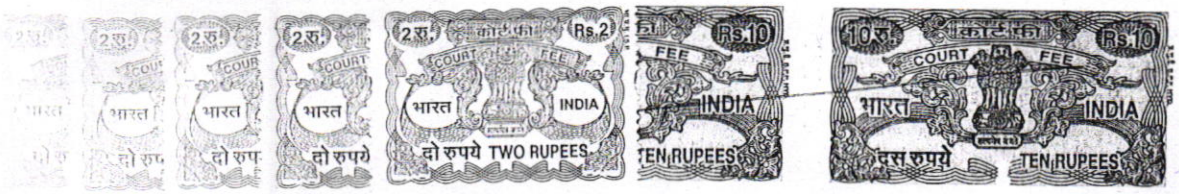

Rs 30/-

प्रेमलाल पाण्डेय तनय श्री स्व. जगदीश रामब्रा० उम्र 61 साल पेशा खेती निवासी ग्राम खोरी तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.) ----- निगरानी कर्ता

बनाम

रामचन्द्र सोनी तनय श्री रामकिशोरसोनी उम्र 52 साल पेशाखेती निवासीग्राम खोरी तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.) --- गैरनिगरानीकर्ता

अधि० श्री राकेश तिवारी
द्वारा पेश/29.11.17

पुनरीक्षण विरूद्ध न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल कुबरी तहसील बहरी जिला सीधी म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्र0 21/अ-12/2016-017 में पारित आदेश दिनांक 29.6.2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण पेश है:--

1/ यह कि राजस्व निरीक्षक मण्डल कुबरी तहसील बहरी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी नं0 का सीमांकन किया गया जो विधि, प्रक्रिया, एवंसहज न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने सेनिरस्त करने योग्य है।

2/ यहकि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किसीभी सरहद्दीकास्तकार को न तो नोटिस दी गयी और न हीकिसी भी प्रकार से मौखिक एवं लिखित जानकारी नही दी गयी। चोरी छिपे तौर पर अनावेदक द्वारा उक्तवादग्रस्त भूमि का सीमांकनकराया है। और निगरानीकर्ता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नदेते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो कतई स्थिर रखने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / सीमा / भू.रा. / 2017 / 4764

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त कुबरी तहसील बहरी जिला सीधी के प्रकरण कमांक 21 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक दिनांक 26–6–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये गये कारण विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन देने पर राजस्व निरीक्षक वृत्त कुबरी तहसील बहरी जिला सीधी ने ग्राम खोरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 456, 461, 470, 471 का सीमांकन किया है। सीमांकन के पूर्व मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की गई है तथा मौके पर ग्रामीणों के समक्ष सीमांकन करते हुये पंचनामा भी तैयार किया जाना परिलक्षित है। आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में सिविल अपील कमांक 5/2016 विचाराधीन है इसलिये जब तक सिविल न्यायालय से मामला नहीं निपट जाता , वाद विचरित भूमियों का सीमांकन करना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।	

3/ जहां तक माननीय व्यवहार न्यायालय में सिविल अपील कमांक 5/2016 प्रचलित रहने का प्रश्न है ? मान0 व्यवहार न्यायालय से जो आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है किन्तु ग्राम खोरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 456, 461, 470, 471 का अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण इन भूमियों का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमियों के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानती है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमियों का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त कुबरी तहसील बहरी जिला सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 21 अ–12/ 2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26–6–2017 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य